

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / 2022 / 2213

रीवा दिनांक:- 08.09.2022

// अधिसूचना //

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.10.2019 के पद क्रमांक 13 (09) में लिये गये निर्णय एवं विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश क्रमांक 11 की कण्डिका (39) के प्रावधान अंतर्गत तथा विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23.08.2022 (अध्यक्ष की अनुमति से) अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 389 दिनांक 16.10.2018 को अंगीकृत करते हुए अध्यादेश 11 की कण्डिका 9 बी में संशोधन हेतु कुलपति जी द्वारा (कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार

1- शोध अध्यादेश क्रमांक 11 की कण्डिका 9 बी के पैरा 6 का निम्नांकित मूलपाठ "Merit List will be prepared on the basis of the marks obtained out of 100 marks in the interview and the decided cut off marks" को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। Merit list will be prepared on the basis of weightage of 70% to the entrance test and 30% to the performance in the interview/viva in RAC and the decided cut off marks.

2- परीक्षा से छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों (जे.आर.एफ./एमफिल कोर्सवर्क के साथ आदि) के साक्षात्कार के 30 प्रतिशत अंक को ही 100 प्रतिशत अंक माने जायेंगे।

आदेशानुसार,



08/09/22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / अकादमिक / 2022 /

रीवा दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
2. विभागाध्यक्ष, वेबसाइट प्रकोष्ठ की ओर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।
3. विभागाध्यक्ष, गोपनीय/परीक्षा विभाग, अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. सम्पादक महोदय.....कृपया उपरोक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित नस्ती।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)